



RSMML SUPERANNUATION FUND TRUST

(A Government of Rajasthan Enterprise)

4, MEERA MARG, UDAIPUR-313001

Phone: 0294-2414706 , Fax: 0294-2428769, 2428770, Email: pension.rsmml@rajasthan.gov.in

No.-: RSMM/CO/F&A/PGI/24-25 / 2344

Date 12-11-2024


परिपत्र

विषय : जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।

सभी पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिवर्ष नवंबर माह में उन्हें जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा दिसम्बर माह से उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा ।

जीवित होने का प्रमाण देने के निम्नांकित विकल्प हैं :-

1. पेंशनर व्यक्तिगत रूप से पेंशन भुगतान प्रकोष्ठ (कॉर्पोरेट कार्यालय) में उपस्थित होकर संलग्न प्रारूप में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।
2. यदि कोई पेंशनर शारीरिक रुग्णता (bodily illness or infirmity) या निरोग्यता के परिणामस्वरूप या कोई महिला पेंशनर सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हो या किसी अन्य कारण से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह किसी मजिस्ट्रेट, पोस्टमास्टर या बैंक अधिकारी, या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. एसबीयू के संबंध में एसबीयू प्रमुख से हस्ताक्षरित संलग्न जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।


राजेन्द्र राव
ट्रस्ट सचिव

संलग्न : जीवित प्रमाण पत्र का प्रारूप



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(पेंशनर्स द्वारा माह नवम्बर में वर्ष में एक बार प्रस्तुत किये जाने वाला जीवित प्रमाण-पत्र)

प्रारूप-13

जीवित प्रमाण-पत्र

मैं पिता/पत्नी/पति श्री
पीपीओ नम्बर आरएसएमएमएल को नियमानुसार स्वयं का जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।
(पारिवारिक पेंशनर्स हेतु)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी समस्त स्रोत से प्रतिमाह आय रुपये है।
(आश्रित पारिवारिक पेंशनर्स हेतु)

दिनांक :-

स्थान:-

हस्ताक्षर पेंशनर्स
(मय नाम एवं पूरा पता)

मैं पद यह प्रमाणित करता हूँ कि
श्री/श्रीमति पीपीओ संख्या जीवित है।

दिनांक :-

स्थान:-

कार्यालयक्षयक्ष/अधिकारी
प्रमाणिकर्ता के हस्ताक्षर
(मय नाम, पद एवं मोहर सहित)